न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–07/2018

1. सुखदीपकौर पुत्री प्यारासिंह पत्नी रणजीत सिंह जाति कश्मीरी ब्राह्मण उम्र 24 वर्ष निवासी 82 पी ब्लॉक श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर

––– **प्रार्थीया**

बनाम्

1. प्यारासिंह पुत्र श्री दलजीत सिह जाति कश्मीरी ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.– प्रेमनगर अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज)
3. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––––**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील–

1. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश गोदारा एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

दिनांक 08.01.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं––1 के नाम से वाके चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 54 पत्थर सं.–280/441 के किला नम्बर 1,2,9,10का 1.012 हैक्टर, 11 का 0.025 हैक्टर, 12 का 0.025 कुल 1.062 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को आयंदा विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। जमाबंदी की चित्रप्रति संलग्न है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं.–1 हकीकी पुत्री है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया जब 4 माह की थी तो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.–1 एवं माता जसमीत कौर के मध्य आपसी मनमुटाव होने के कारण पंचायती तलाक हो गया था। प्रार्थीया अप्रार्थी सं–1 की विधिक संतान है। प्रार्थीया के दादा के नाम से चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–54 पत्थर सं.–280/441 के किला नम्बर 1, 2, 9ता12 19ता22 की कुल 2.530 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि थी। प्रार्थी के दादा के देहान्त उपरांत उसके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके वारिसों को विरास्तन प्राप्त हुई तदुपरात उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं–1 व उसके भाईयों हरदीपसिंह व राजपालसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसमें अप्रार्थी सं.–1 के नाम से विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को अपने पिता यानि प्रार्थीया के दादा दलजीतसिंह से प्राप्त होने के उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पति यानि प्रार्थीया के पैतृक सम्पति है जो कि सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हित निहित है, फलस्वरूप प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि की सहदायी है। अप्रार्थी सं.–1 की विधिक संतान है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक व्यवस्था करते हुऐ पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत अप्रार्थी सं.–1 ने अपने नाम की उक्त विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक सालम व 11 का 0.025 हैक्टर भूमि प्रार्थीया को प्रदत कर दी गई व शेष भूमि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपने पास रख ली गई इस प्रकार भी प्रार्थीया का उक्त विवादित भूमि में हित निहित है। उक्त कुल विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया के पिता यानि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत 1/2 हिस्सा यानि किला नम्बर 1व10 प्रत्येक सालम व 11 का 0.025 हैक्टर कुल 0.531 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया को प्रदत कर दी थी। जो प्रार्थीया के संयुक्त अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है। जिससे प्रार्थीया अपना जीवन निर्वाह करती आ रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं.–1 को कई बार कहा कि वह प्रार्थीया के नाम से विवादित कृषि भूमि में जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत कृषि भूमि प्रार्थीया को दी गई है इसलिए उक्त पारिवारिक मौखिक समझौता की पालना में उसके नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवें व उसी अनुसार खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रार्थीया विवादित भूमि का समुचित रूप से उपयोग उपभोग कर सके तो अप्रार्थी सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे। अप्रार्थी सं.–1 जो कि अन्य लोगों के अत्यधिक प्रभाव में है जो वेजा फायदा उठाकर व प्रार्थीया को उसके हक अधिकारों से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है और उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित ,रहन बैचान करने के प्रयासरत है जिसके लिए कुछ दलाल किस्म के व्यक्तियों से बातचीत भी कर रखी है और जमीन अन्य व्यक्तियों को दिखाता फिर रहा है। जिसका पता चलने पर प्रार्थीया आज से अर्सा 10 रोज पहले पारिवारिक समझौता की पालना में पैतृक भूमि में प्रार्थी को प्रदत कृषि भूमि का प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने व खाता विभाजन करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से साफ इंकार हो गया और अप्रार्थी सं.–1 ऐलानिया कहने लगा कि वह किसी पारिवारिक समझौता को नहीं मानता है और ना ही प्रार्थीया को विवादित भूमि देगा बल्कि वह विवादित भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। विवादित भूमि को अप्रार्थी सं.–1 अन्यत्र रहन, बेचान करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की एवज में नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीया अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश गोदारा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 54 पत्थर सं.–280/441 के किला नम्बर 1,2,9,10का 1.012 हैक्टर, 11 का 0.025 हैक्टर, 12 का 0.025 कुल 1.062 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को अपने पिता दलजीतसिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी। कुछ कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को उसकी माता व बहन ने जरिए दान पत्र दी थी तथा अप्रार्थी सं. –1 के पिता दलजीत सिंह का उक्त कृषि भूमि आवंटित हुई थी। अप्रार्थी सं.–1 की जसमीतकौर के साथ शादी होना तथा आपसी मनमुटाव होने के कारण पंचायत तलाक होना स्वीकार है परंतु प्रार्थीया का अप्रार्थी सं–1 की हकीकी पुत्री होना स्वीकार नही है तथा ना ही जसमीत कौर ने अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ प्रस्तुत दहेज के मुकदमा में इस प्रकार की कोई साक्ष्य या तथ्य प्रकट किया था कि उसके अप्रार्थी सं.–1 से प्रार्थीया उत्पन्न हुई थी। उक्त विवादित भूमि दलजीत सिंह को आवंटित हुई थी तथा बाद में उसके वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई तथा अप्रार्थी सं.–1 व उसके भाईयों के नाम राजस्व रिकाई मे दर्ज हुई। परंतु उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की अविभाजित सम्पति यानि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होना स्वीकार नहीं है तथा ना ही इस प्रकार से सहदायिकी सम्पति होना स्वीकार है। कानूनन यदि अप्रार्थी सं–1 के पिता दलजीत सिंह को अपने परदादा से विवादित कृषि भूमि प्राप्त होती तथा अप्रार्थी सं.–1 को चौथी स्टेज पर विरासतन प्राप्त होती तब ही विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति नहीं है तथा इस[illegible]त नहीं है तथा ना ही प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि की सहदायी है। पूर्व [illegible]सार विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति व सह[illegible] ना ही प्रार्थीया अप्रार्थी सं.–1 की विधिक संतान है तथा ना ही [illegible]रिवारिक व्यवस्था करते हुऐ पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत अप्रार्थी सं.–2 जो कि [illegible]स्तव में अप्रार्थी सं.–1 है, ने अपने नाम की उक्त विवादित भूमि में से आधा हिस्सा यानि किला नं.–1वा10 प्रत्येक सालम व किला नं.–11 का 0.025 हैक्टर प्रार्थीया का प्रदत्त की गई तथा शेष भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने अपने पास रखी बल्कि समस्त विवादित कृषि भूमि आज भी अप्रार्थी सं.–1 के पास है तथा प्रार्थीया का उक्त विवादित भूमि में कोई हित निहित नही है। विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि नही है तथा ना ही अप्रार्थी सं.–1 ने पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत आधा हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रदत्त की थी तथा ना ही विवादित कृषि भूमि में से किला नं.–1 वा10 सालम व किला नं.–11 का 0.025 हैक्टर कुल 0.531 हैक्टर पर प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। जब कोई पारिवारिक समझौता ही नही हुआ तो ऐसे पारिवारिक समझौता की पालना में विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया अपने अधिकारों की घोषणा करवाने तथा इस अनुसार खाता विभाजन करवाने की विधिक अधिकारी नही है। ना ही अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पारिवारिक समझौता को मानने के इंकार करने व विवादित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन,बैय करने की धमकी देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जब कानूनन प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक ही नही है तो इससे प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीया का विवादित कृषि भूमि में कोई कानूनी हक नही होने से प्रार्थीया अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं––1 के नाम से वाके चक 75 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 54 पत्थर सं.–280/441 के किला नम्बर 1,2,9,10 का 1.012 हैक्टर, 11 का 0.025 हैक्टर, 12 का 0.025 कुल 1.062 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं.–1 हकीकी पुत्री है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया जब 4 माह की थी तो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.–1 एवं माता जसमीत कौर के मध्य आपसी मनमुटाव होने के कारण पंचायती तलाक हो गया था। प्रार्थीया, अप्रार्थी सं–1 की विधिक संतान है। प्रार्थी के दादा के देहान्त उपरांत उसके नाम की उक्त कृषि भूमि उसके वारिसों को विरास्तन प्राप्त हुई।

प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए।

1. **Air 1993 SC 276**
2. **हिन्दू विधि पैरा 221**
3. **RRD 1981Page 512**
4. **2013(2)WLC(SC) Page 535**
5. **RLW 2005(2)RJ218**
6. **2013WLC(Raj)UC 426**
7. **2007(3)WLN556(Raj)**
8. **2010(1)RRT 221**

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.–1 के पिता दलजीत सिंह का उक्त कृषि भूमि आवंटित हुई थी। अप्रार्थी सं.–1 की जसमीतकौर के साथ शादी होना तथा आपसी मनमुटाव होने के कारण पंचायत तलाक होना स्वीकार है परंतु प्रार्थीया का अप्रार्थी सं–1 की हकीकी पुत्री होना स्वीकार नही है तथा ना ही जसमीत कौर ने अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ प्रस्तुत दहेज [illegible] में इस प्रकार की कोई साक्ष्य या तथ्य प्रकट किया था कि उसके अप्रार्थी सं.–1 से प्रा[illegible] उत्पन्न हुई थी। उक्त विवादित भूमि दलजीत सिंह को आवंटित हुई थी [illegible] वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई तथा अप्रार्थी सं.–1 व उसके भाइयों के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। परंतु उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की अविभा[illegible] सम्पति यानि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होना स्वीकार नहीं है तथा ना ही इस प्रकार से सहदायिकी सम्पति होना स्वीकार है। कानूनन यदि अप्रार्थी सं–1 के पिता दलजीत सिंह को अपने परदादा से विवादित कृषि भूमि प्राप्त होती तथा अप्रार्थी सं.–1 को चौथी स्टेज पर विरासतन प्राप्त होती तब ही विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति नहीं है तथा इसके प्रार्थीया का जन्म से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.05.03 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested

हित निहित नहीं है तथा ना ही प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि की सहदायी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं.–1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए।

1. Mrs Premwati & Ors vs Mrs Bhagwati Devi & Ors on 29 August 2012
2. Joint Hindu Family Coparceners and Coparcenary

विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह स्वीकृत तथ्य है कि पैतृक पूर्वजों से विरासत में प्राप्त संपति किसी हिन्दू पुरूष द्वारा अपने पिता, पितामह या प्रपितामह से विरासत में प्राप्त सभी संपति पैतृक सम्पति है। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से विरासतन प्राप्त हुई है, अतः अप्रार्थी संख्या–1 की संतान के लिए उक्त भूमि पैतृक सम्पति होगी। प्रार्थीया ने स्वयं को अप्रार्थी संख्या 1 की हकीकी पुत्री होने के आधार पर मूलवाद में अपने अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया के दस्तावेजात (10वीं की अंकतालिका) में पिता का नाम प्यारासिंह (अप्रार्थी सं–1) ही दर्ज है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को विरासतन प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात प्रार्थीया के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थीया को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षति:–जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को विरासतन प्राप्त हुई है। यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीया अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी संख्या–1 मूलवाद के निस्तारण तक प्रश्नगत र[illegible] अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 54 पत्थर सं.–280/441 के किला नम्बर 1,2,9,10[illegible] हैक्टर, 11 का 0.025 हैक्टर, 12 का 0.025 कुल 1.062 हैक्टर कृषि [illegible] अन्यथा हस्तांतरित न करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनू[illegible]पगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को सरेआम सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 16:44:10 IST
Reason: SelfAttested